भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4093
उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

सरकारी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण में देरी

4093. श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों, विशेषकर राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में, चालू शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण में कोई देरी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो विशेष रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित दायित्वों और समग्र शिक्षा अभियान या अन्य योजनाओं के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु आवंटित धनराशि के संदर्भ में इस देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा राज्य और जिला स्तर पर इस तरह की देरी के कारणों की पहचान करने के लिए कोई समीक्षा, लेखा परीक्षा या निगरानी की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में, विशेष रूप से राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के संबंध में, प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे और क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से **(घ):** समग्र शिक्षा भारत में स्कूल शिक्षा के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो प्री-स्कूल से कक्षा **12** तक की शिक्षा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम**, 2009** के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करके स्कूलों की प्रभावशीलता में सुधार करना है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) **2020** के अनुरूप है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) के माध्यम से योजना में शामिल सभी मध्यवर्तनों के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मंत्रालय में समग्र शिक्षा के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों के अनुसार**,** संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से**,** परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन किया

जाता है तथा आनुपातिक निधियां आवंटित की जाती हैं। समग्र शिक्षा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आरटीई अधिनियम, **2009** की अनुसूची में दिए गए स्कूलों के मानदंडों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करती है।

आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, समान पहुंच को बढ़ावा देने और बच्चों के बीच अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी/स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रारम्भिक स्तर पर सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इन स्कूलों के सभी बच्चों को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध नवीनतम यूडाइज़+ नामांकन के आधार पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं। यूडाइज़+ डेटा में देश भर के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी स्कूल शामिल हैं। समग्र शिक्षा के अंतर्गत, प्राथमिक स्तर पर सरकारी/स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमशः 250 रुपये और 400 रुपये प्रति बच्चे की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025-26 के लिए, 2832.37 करोड़ रुपये की अनुमोदित निधि के साथ कुल 9,09,43,371 पाठ्यपुस्तकें अनुमोदित की गई हैं।

टोंक और सवाई माधोपुर जिलों सहित राजस्थान राज्य के लिए कुल 57,46,625 पाठ्य पुस्तकें अनुमोदित की गई हैं। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य के सभी जिलों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण का पहला चरण शुरू कर दिया गया है। सवाई माधोपुर जिले में कुल 5,32,666 पुस्तकें और टोंक जिले में कुल 4,76,090 पुस्तकें वितरित की गई हैं। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल ने पहले चरण के तहत 20.06.2025 से 07.07.2025 तक पूरे राज्य में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की हैं। दूसरे चरण में 25.07.2025 से 20.08.2025 तक पुस्तकें वितरित की जा रही हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, **2009** के अंतर्गत उपयुक्त सरकारें हैं, और आरटीई अधिनियम, **2009** की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों और संबंधित राज्य आरटीई नियमों के अनुसार स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण की ज़िम्मेदारी और अधिदेश उनके पास है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वास्तविक निगरानी के साथ पाठ्यपुस्तकों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है ताकि सभी बच्चों को नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पाठ्यपुस्तकें मिल सकें। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रबंध पोर्टल पर की गई प्रविष्टियों के माध्यम से निधियों के व्यय की निगरानी करता है।

******